संख्याः– 7234 / III(2) / 11–117(प्रा0आ0) / 2011

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल
उप सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग--2 देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2011

विषयः-- जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट एवं कनालीछीना के अन्तर्गत मोटर मार्ग नवनिर्माण प्रथम चरण के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (कु.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,अल्मोड़ा के पत्र संख्या--8863 / 1125यातायात--कुमायूँ / 2010 दिनांक 27.9.2010,पत्र सं0--10306 / 1125 यातायात--कुमायूँ / 2011 दिनांक 6.9.2011,पत्र सं0--10978 / 1125 यातायात--कुमायूँ / 2011 दिनांक 28.9.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट एवं कनालीछीना के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 04 कार्यो के नव निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये 04 आगणनो, लम्बाई 13.00किमी0 तथा लागत ₹163.70 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 सेल द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹163.70 लाख (₹ एक करोड़ तिरेसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011--12 में व्यय हेतु संलग्नक के कालम 5 में उल्लिखित विवरणानुसार ₹ 0.80 लाख (₹ अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश सं0:--1764 / III(2) / 10--17 (सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित किया जाय जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रहीं हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(4) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

(5) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(6) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स--2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः 2/--

835 बी

ii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 3–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

iii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

i) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 721/XXVII/(2)/2011 दि0: 22 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– उक्तानुसार। R. No 128/30 dated 18/12/012

AE / DAO 17/12

EE 17/12

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

संख्या:– /III(2)/11–117(प्रा0आ0)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
- लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

पत्रांक 1632/20 पत्रा0 (G)/11 दि0 30/12/11
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शासनादेश संख्या:-7234/III(2)/11-117(प्रा0आ0)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का सलंग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0स0	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	कार्य हेतु प्रथम चरण की स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में धिमाली से बगजीवला मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.74	0.20
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में लामाधर बैण्ड से लामाधर मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00	25.16	0.20
3	किल्ल से वर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	50.40	0.20
4	नाघर कुमलता गंगासेरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	50.40	0.20
	कुल योग (4कार्य)	13.00	163.70	0.80

(₹ अस्सी हजार मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

...या प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
...न्तीय खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़